न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ,छोटीसादडी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट –गागरोल)
पीठासीन अधिकारी – दिनेश कुमार मण्डोवरा , आर.ए.एस.

श्रीमति मोहनबाई पत्नि भुवानीशंकर जाति– ब्राह्मण आयु–60 साल निवासी– गागरोल तहसील–छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ – राजस्थान –वादीया

---- बनाम ----

1–श्रीमति मधु पत्नि जगदीशचन्द्र जाति– ब्राह्मण आयु–वयस्क निवासी–गागरोल
2–श्री राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महोदय छोटीसादडी –प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88–209 राज0 काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा 67 /2016

निर्णय दिनाक 19–5–2017

वादीया मोहनबाई की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया गया कि मौजा–गागरोल पह0गागरोल तह0छोटीसादडी स्थित खाता संख्या 290 मे आराजी नं 636 रकबा 0–22 है0 , आराजी नं 637 रकबा 0–18है0, आराजी नं 641 रकबा 0–16 है0 आराजी नं 644 रकबा 0–21 है0 आराजी नं 652 रकबा 0–24 है0 , आराजी नं 653 रकबा 0–46 है0 , आराजी नं 657 रकबा 0–12 है0 आराजी नं 659 रकबा 0–13 है0 , कुल किता– 8 कुल रकबा 1–72 है0 स्थित है ! उक्त आराजियात वादीया. एवं प्रतिवादी नं 1 व मु0 हगामी बेवा नवला ब्राहाण सा0 गागरोल के नाम पर स्थित है ! इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी मे मोहनबाई पत्नि भुवानीशंकर 1/3 मु0 हगामी बेवा नवला 1/3 ब्राहाण सा0गोठडा मधु पत्नि जगदीशचन्द्र 1/3 ब्राहाण सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है ! सिबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 पेश की गई है ! उक्त आराजी आगे वाद में वादग्रस्त आराजियात के नाम से जानी जावेगी !

2– यह कि उक्त आराजियात में खातेदार मु0 हगामी बेवा नवला ब्राहाण निवासी–गोठडा की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है तथा वर्णित आराजियात मे वादीया का 2/3 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती है! जिस पर वह बरसों से काबिज काश्त है ! तथा वर्तमान मे वादीया उक्त आराजियात के 2/3 हक हिस्से पर काबिज है ! वादीया ने उक्त आराजियात को राजस्व रेकॉर्ड मे अपने नाम पर अन्कन कराने के लिए पटवारी जी के पास गई तो कहा कि कोर्ट से करवाओ ! इस कारण उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है ! मृतक हगामी बेवा नवला ब्राहाण की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कोई वारिशान नही है व वादीया के कब्जे काश्त मे उक्त आराजियात चली आ रही है ! वादीया ने प्रतिवादी 1 को भी कहा तो उसने कहा कि तुम तुम्हारे करवाते रहो ! जब कि मौके पर प्रतिवादी नं 1 का कभी भी कब्जा हगामीबाई के हिस्से पर नही रहा है न ही कभी काश्त किया है ! वर्णित आराजियात के 2/3 हक हिस्से पर वादीया काबिज काश्त है व फसल बोती व लेती चली आ रही है !

पीठासीन अधिकारी

मोहनबाई — वादीया — बनाम — श्रीमति मधु वगैरा — प्रतिवादीगण

3- यह कि वादीया वादग्रस्त आराजियात अपने खातेदारी की घोषित कराने की अधिकारी होकर अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है ! जिस बाबत् यह वाद घोषणा का पेश किया गया है !

4- यह कि न्याय आपके द्वार केम्प — गागरोल में प्रतिवादीया मधु पत्नि जगदीशचन्द्र ब्राह्मण उपस्थित होकर यह जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियातमें हगामी बेवा नवला ब्राह्मण निवासी— गागरोल के हक हिस्से पर वादीया काबिज होकर काश्त कर रही है एव लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए राजीनामा चाहा गया है जो तस्दीक किया गया ! जिसकी तस्दीक पटवार हल्का द्वारा की गई है ! आराजी मौजा —गागरोल पह0गागरोल तह0छोटीसादडी स्थित खाता संख्या 290 मे आराजी नं 636 रकबा 0—22 है0 , आराजी नं 637 रकबा [illegible] है0 आराजी नं 641 रकबा 0—16 है0 आराजी नं 644 रकबा 0—21 है0 आराजी नं 652 रकबा 0—24 है0 , आराजी नं 653 रकबा 0—46 है0 , आराजी नं [illegible] रकबा 0—12 है0 आराजी नं 659 रकबा 0—13 है0 , कुल किता— 8 कुल रकबा 1—72 है0 स्थित जो मृतक हगामी बेवा नवला ब्राहाण के नाम दर्ज है, उसका नाम विलोपित किया जाकर उसका हिस्सा वादीया श्रीमति मोहनबाई पत्नि मुरलीशंकर ब्राह्मण निवासी— गागरोल के खातेदारी की घोषित की जाती है ! एव डिक्री अलग से बनाई जावे ! एव खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे !

[illegible] तारीख 19—5—2017 को यह निर्णय लिखा जाकर पढाकर सुनाया गया !

(किशोर कुमार मण्डोवरा)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर छोटीसादडी